

**बिहार सरकार**  
**उद्योग विभाग**

**संकल्प**

**विषय:—राज्य के विभिन्न वर्गों के गरीब परिवारों के आर्थिक विकास के लिए बिहार लघु उद्यमी योजना की स्वीकृति के संबंध में।**

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं। जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न है:—

| कोटि               | कुल परिवारों की संख्या | गरीब परिवारों की संख्या | प्रतिशत |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| सामान्य वर्ग       | 4328282                | 1085913                 | 25.09%  |
| पिछड़ा वर्ग        | 7473529                | 2477970                 | 33.16%  |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 9884904                | 3319509                 | 33.58%  |
| अनुसूचित जाति      | 5472024                | 2349111                 | 42.93%  |
| अनुसूचित जनजाति    | 470256                 | 200809                  | 42.70%  |
| कुल                | 27628995               | 9433312                 | 34.14%  |

राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाये जाने के उद्देश्य से बिहार लघु उद्यमी योजना लागू की गयी है।


2. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब सभी परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 करोड़ रुपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1000.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा।

3. **बजट:—** योजना के लिए प्रारंभ में कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 में क्रमशः 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ एवं सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रुपये कुल 1,250.00 (एक हजार दो सौ पचास) करोड़ रुपये की राशि पर स्वीकृति दी गयी है। राज्य के सभी आर्थिक रूप से गरीब परिवारों को लाभान्वित करने हेतु अतिरिक्त बजट का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा।

4. योजना के लिए अर्हता तथा इसके कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका अनुसूची-1 पर संलग्न है।
5. यह योजना संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।
6. प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक 16.01.2024 की बैठक में मद संख्या-09 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अनु0- मार्गदर्शिका।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(संदीप पौण्डरीक)

अपर मुख्य सचिव,


उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना एवं सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256..... /पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,


उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024.

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- उद्योग निदेशक/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, एम0एस0एम0ई0डी0आई0, पटना, मुजफ्फरपुर एवं उद्योग विभाग के सभी निगम/प्राधिकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,


उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,


उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी (सी0डी0 में) तथा दो हार्ड कॉपी के साथ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित की जाय।



अपर मुख्य सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 256.....

/पटना, दिनांक:- 16/01/2024

सं0सं0-04तक0/बिहार लघु उद्यमी योजना/67/2023/(खण्ड)

प्रतिलिपि :- आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को संकल्प की प्रति  
विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



अपर मुख्य सचिव,  
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार  
उद्योग विभाग  
मार्गदर्शिका

बिहार लघु उद्यमी योजना

जाति आधारित गणना में परिवार की मासिक आय के आधार पर आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की संख्या का एक महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आया है। कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या लगभग 2 करोड़ 76 लाख है और उनमें 94 लाख से अधिक परिवार आर्थिक रूप से गरीब पाए गए हैं।

2. जाति आधारित गणना के अनुसार वर्गवार आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की विवरणी निम्न प्रकार है:-

| कोटि               | कुल परिवारों की संख्या | गरीब परिवारों की संख्या | प्रतिशत |
|--------------------|------------------------|-------------------------|---------|
| सामान्य वर्ग       | 4328282                | 1085913                 | 25.09%  |
| पिछड़ावर्ग         | 7473529                | 2477970                 | 33.16%  |
| अत्यंत पिछड़ा वर्ग | 9884904                | 3319509                 | 33.58%  |
| अनुसूचित जाति      | 5472024                | 2349111                 | 42.93%  |
| अनुसूचित जनजाति    | 470256                 | 200809                  | 42.70%  |
| कुल                | 27628995               | 9433312                 | 34.14%  |

3. सभी वर्गों में आर्थिक रूप से गरीब परिवार हैं। इसलिए आवश्यकता है गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाया जाये ताकि इन गरीब परिवारों में कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध हो जाए।

4. अर्हता

योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु अर्हतायें निम्न प्रकार होगी:-

- आवेदन की तिथि को लाभुक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभुक बिहार का निवासी होना चाहिए एवं उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता अंकित होना चाहिए।

- (iii) लाभुक की पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होनी चाहिए। आवेदन देते समय अभ्यर्थी को राज्य सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र हेतु घोषित सक्षम प्राधिकार से निर्गत पारिवारिक आय प्रतिमाह 6000 रु0 से कम होने का प्रमाण पत्र देना होगा।
- (iv) मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) में लाभ प्राप्त कर चुके लाभुक मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के पात्र नहीं होंगे एवं इसी प्रकार मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना में लाभ प्राप्त करने वाले लाभुक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना (अनुसूचित जाति/जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला, युवा, अल्पसंख्यक) हेतु पात्र नहीं होंगे। अर्थात् दोनों में से एक ही योजना में लाभ प्राप्त किया जा सकेगा।

## 5. योजना का कार्यान्वयन

योजना का कार्यान्वयन उद्योग विभाग द्वारा निम्न प्रकार किया जायेगा:-

- (i) योजना हेतु प्रत्येक वर्ष ऑनलाईन आवेदन की माँग की जायेगी, इसके लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का पोर्टल अथवा इसी प्रकार से निर्मित अन्य पोर्टल का इस्तेमाल किया जायेगा।
- (ii) आवेदन प्राप्त होने के बाद लाभान्वितों का चयन Computerised Randomisation (कम्प्यूटरीकृत रैंडमाइजेशन) के माध्यम से किया जायेगा।
- (iii) उस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जायेगा तथा 20 प्रतिशत आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा।
- (iv) योजना के अन्तर्गत लाभुकों के चयन कंडिका-2 में दिये गये आंकड़ों के अनुपात में किया जायेगा।
- (v) प्रत्येक परिवार में से एक व्यक्ति को ही योजना का लाभ दिया जायेगा। परिवार की परिभाषा में पति, पत्नी एवं अविवाहित पुत्र एवं पुत्री शामिल होंगे।
- (vi) योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभुक को स्वरोजगार के लिये अधिकतम रु० 2,00,000 (दो लाख रु०) की राशि अनुदान के रूप में दी जायेगी। यह राशि 03 किस्तों में दी जायेगी। प्रथम किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत, द्वितीय किस्त में परियोजना लागत की 50 प्रतिशत एवं तृतीय किस्त में परियोजना लागत की 25 प्रतिशत राशि दी जायेगी। प्रत्येक किस्त के सदुपयोग करने के बाद ही अगली

किस्त की राशि दी जायेगी। प्रथम किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा Toolkit/Machine क्रय के लिए प्रयोग किया जायेगा। इसके अतिरिक्त सभी लाभुकों के प्रशिक्षण एवं परियोजना अनुश्रवण समिति (PMA) द्वारा सहायता के लिए प्रति इकाई 5 प्रतिशत की दर से व्यय किया जायेगा।

6. योजना के अन्तर्गत अनुमान्य व्यवसाय राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली राशि से अनुलग्नक-1 के अनुसार व्यवसाय किये जा सकेंगे। राज्य अनुश्रवण समिति सूची में परिवर्तन कर सकेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन में भविष्य में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस संबंध में राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे।
7. योजना के अन्तर्गत राज्य के आर्थिक रूप से गरीब संभू परिवारों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है। योजना को प्रारंभ करने के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250.00 (दो सौ पचास) करोड़ रुपये एवं 2024-25 में सांकेतिक रूप से 1,000.00 (एक हजार) करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया जा रहा है। योजना में आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों से प्राप्त होने वाले आवेदनों की संख्या को देखते हुए भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का प्रावधान राज्य सरकार की स्वीकृति से किया जाएगा। राज्य स्तरीय लक्ष्य को जिलों में गरीब परिवारों की संख्या के अनुपात में जिला स्तर पर निर्धारित किया जाएगा।
8. योजना का कार्यान्वयन मुख्यमंत्री उद्यमी योजना हेतु निर्धारित बजट शीर्ष से संबंधित लाभुकों के लिए किया जायेगा।
9. योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होगी:-
  - i. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग विभाग:- अध्यक्ष
  - ii. वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:- सदस्य
  - iii. ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:-सदस्य
  - iv. श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून पदाधिकारी:- सदस्य
  - v. उद्योग विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि:- सदस्य

vi. निदेशक, उद्योग अथवा निदेशक, तकनीकी विकास:— सदस्य सचिव  
उक्त समिति द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण किया जायेगा। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संशोधन करने के लिए उक्त समिति सक्षम होगी।

10. जिला स्तर पर योजना के अनुश्रवण हेतु जिला अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जो निम्न प्रकार होगी:—

- |                                      |   |            |
|--------------------------------------|---|------------|
| i. जिला पदाधिकारी                    | — | अध्यक्ष    |
| ii. उप विकास आयुक्त                  | — | सदस्य      |
| iii. जिला कल्याण पदाधिकारी           | — | सदस्य      |
| iv. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी | — | सदस्य      |
| v. श्रम अधीक्षक                      | — | सदस्य      |
| vi. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र  | — | सदस्य सचिव |

इस समिति का कार्य योजना को सुचारु रूप से संचालित करना एवं योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण करना तथा आने वाली कठिनाईयों को दूर करना होगा



# बिहार लघु उद्यमी योजना

## कार्य की सूची (List of activities)

अनुलग्नक-I

| क्र०सं० | उत्पाद का नाम   |
|---------|---|
|         | <b>खाद्य प्रसंस्करण (Food Processing)</b>   |
| 1       | आटा, सत्तु एवं बेसन उत्पादन (Atta, Sattu & Besan Manufacturing)                       |
| 2       | मसाला उत्पादन (Spice Production)  |
| 3       | नमकीन उत्पादन (Namkeen Production)  |
| 4       | जैम/जेली/सॉस उत्पादन (Jam/Jelly/Sauce Manufacturing)                                  |
| 5       | नूडल्स उत्पादन (Noodles Manufacturing)  |
| 6       | पापड़ एवं बड़ी उत्पादन (Papad & Bari Manufacturing Unit)                              |
| 7       | आचार, मुरब्बा उत्पादन (Pickles Manufacturing Unit)                                    |
| 8       | फलों के जूस की इकाई (Fruit Juice)   |
| 9       | मिठाई उत्पादन (Sweets Production)   |
|         | <b>लकड़ी के फर्निचर उद्योग (Wood Furniture Industry)</b>                              |
| 10      | बढ़ईगिरी (Carpentry)  |
| 11      | बाँस का सामान, फर्निचर उत्पादन इकाई (Bamboo Article and Furniture Manufacturing unit) |
| 12      | नाव निर्माण (Boat Maker)  |
| 13      | बढ़ई गिरी एवं लकड़ी के फर्निचर (Carpentry & Wood Furniture Workshop)                  |
| 14      | बेंत का फर्निचर निर्माण (Cane Furniture Manufacturing)                                |
|         | <b>निर्माण उद्योग (Construction Industries)</b>                                       |
| 15      | सीमेन्ट का जाली, दरवाजा एवं खिड़की इत्यादि (Cement Jalli, Doors, windows etc.)        |
| 16      | प्लास्टर ऑफ़ पेरिस का सामान (Plaster of Paris Item)                                   |
|         | <b>दैनिक उपभोक्ता सामग्री (Daily Consumer Item)</b>                                   |
| 17      | डिटर्जेंट पाउडर, साबुन एवं शैम्पू (Detergent Powder, Soap & Shampoo)                  |
| 18      | बिन्दी एवं मेहंदी उत्पादन इकाई (Bindi&Mehandi Manufacturing Unit)                     |
| 19      | मोमबत्ती उत्पादन (Candle Manufacturing)   |
|         | <b>ग्रामीण इंजिनियरिंग (Rural Engg.)</b>  |
| 20      | कृषि यंत्र निर्माण (Agri Equipment Manufacturing Unit)                                |
| 21      | गेटग्रिल निर्माण एवं वेल्डिंग इकाई (Gate grill Fabrication Unit / Welding Unit)       |
| 22      | मधुमक्खी का बक्सा निर्माण (Bee-Box Manufacturing)                                     |
| 23      | आभूषण निर्माण वर्कशॉप (Gold Manufacturing Workshop)                                   |

|    |   |
|----|---|
| 24 | स्टील का बॉक्स/ट्रंक/रैक निर्माण (Steel Box / Trunk / Racks Manufacturing Unit)                         |
| 25 | स्टील का अलमीरा निर्माण (Steel Almirah Manufacturing)   |
| 26 | लोहार/हथौड़ा और टूल किट निर्माण (Blacksmith/Hammer and Tool Kit Maker)                                  |
|    | <b>इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई०टी० आधारित<br/>(Electrical &amp; Electronics and I Based)</b> |
| 27 | बिजली पंखा एसेम्बलिंग (Electrical Fan assembling)   |
| 28 | स्टेबिलाइजर/इनवर्टर/यू०पी०एस०/सी०वी०टी० एसेम्बलिंग (Stabilizer / Inverter / UPS / CVT assembling)       |
| 29 | आई० टी० बिजनेस केन्द्र (IT Business Centre)   |
|    | <b>रिपेयरिंग एवं मेन्टेनेंस (Repair &amp; Maintenance)</b>  |
| 30 | मोबाईल एवं चार्जर रिपेयरिंग (Mobile Repairing & Mobile Charger Making)                                  |
| 31 | ऑटो गैरेज (Auto Garage)   |
| 32 | एयर कंडिसन रिपेयरिंग (Air Conditioner repair Service)   |
| 33 | टू-व्हीलर रिपेयरिंग (Two Wheeler Repairing Shop)  |
| 34 | टायर रिट्रेडिंग (Tyre Vulcanizing / Retread)  |
| 35 | डीजल इंजन एवं पम्प रिपेयरिंग (Repair of Diesel Engines & Pump Sets)                                     |
| 36 | बिजली मोटर बाइंडिंग (Motor Winding)   |
| 37 | ताला/चाभी की मरम्मत (Key Maker/Locksmith)   |
|    | <b>सेवा उद्योग (Service Industry)</b>   |
| 38 | सैलून (Barber Shop (Saloon))  |
| 39 | ब्यूटीपार्लर (Beauty Parlour)   |
| 40 | ढाबा/होटल/रेस्टोरेन्ट/फुड ऑन व्हील्स (Establishment of Dhaba/ Hotel/Restaurant/Food on Wheels)          |
| 41 | ड्राईक्लीनिंग/लॉन्ड्री (Dry Cleaning/Laundry)   |
| 42 | राजमिस्त्री (Mason)   |
|    | <b>विविध उत्पाद (Misc. Products)</b>  |
| 43 | सोना/चाँदी जेवर निर्माण (Gold/Silver Jewellery making Unit)   |
| 44 | केला रेशा निर्माण (Banana Fibre)  |
| 45 | फूल का माला/सजावटी माला निर्माण (Garland Maker)   |
|    | <b>टेक्सटाईल एवं होजरी उत्पाद (Textiles and Hosiery Products)</b>                                       |
| 46 | रेडिमेड वस्त्र निर्माण (Readymade garments)   |
| 47 | कसीदाकारी (Knitting Machines & Garments)  |
| 48 | बेडशीट, तकिया कवर निर्माण (Bed Sheet with Pillow Covers Set)  |
| 49 | मच्छरदानी/मछली पकड़ने का जाल निर्माण (Mosquito Net/Fishing Net Manufacturing)                           |

|    |  |
|----|--|
|    | <b>चमड़ा एवं इससे संबंधित उत्पाद (Leather and semi Leather Products)</b>   |
| 50 | चमड़े के जैकेटस निर्माण (Leather Garments)   |
| 51 | चमड़े के जूता निर्माण (Leather Shoes)  |
| 52 | चमड़े के बैग, बेल्टस, वॉलेट एव ग्लोव्स आदि निर्माण (Leather Accessories like Bags, Belts, Wallets & Gloves etc.) |
| 53 | चमड़े एवं रेक्सिन का सीट कवर निर्माण (Leather and Rexin Sheets Cover for Vehicles)                               |
|    | <b>हस्तशिल्प (Handicraft)</b>  |
| 54 | पीतल/ब्रास नक्कासी (Brass / Bronze Craft)  |
| 55 | काष्ठ कला आधारित उद्योग (Wood based Craft Industries)  |
| 56 | पत्थर की मूर्ति निर्माण (Stone based)  |
| 57 | जूट आधारित क्राफ्ट (Jute based)  |
| 58 | लाह चूड़ी निर्माण (Lac Bangles)  |
| 59 | गुड़िया और खिलौना निर्माण (Doll and Toy Maker)   |
| 60 | टोकड़ी/चटाड़/झाड़ू का निर्माण (Basket/Mat/Broom Maker/Coir Weaver)   |
| 61 | कुम्हार (मिट्टी का बर्तन/खिलौना निर्माण) (Potter)  |
|    | <b>अन्य</b>  |
| 62 | (राज्य अनुश्रवण समिति द्वारा निर्धारित अन्य कोई व्यवसाय)   |